में अब तक उन्हीं आधार पर चलाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में इन बसों को चलाये रखने के लिये कुछ अन्य व्यवस्था का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली में प्राइवेट बसें, दिल्ली परिवहन निगम के साथ एक प्रबंध के तहत 1978 से किलोमीटरेज स्कीम के अन्तर्गत चल रही हैं । स्कीम का एक अनिवार्य पहलू यह था कि स्कीम के अन्तर्गत चल रही प्रत्येक प्राइवेट बस में दिल्ली परिवहन निगम का एक कंडक्टर तैनात किया गया था और यात्रियों को लाने ले जाने से मिलने वाला सम्पूर्ण राजस्व भी दिल्ली परिवहन निगम में जमा कराया जाता था । जब दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी 17-3-88 से हड़ताल पर चले गये तब यह प्रणाली निष्क्रिय हो गई । किलोमीटरेज स्कीम के तहत पहले लगाई गई प्राइवेट बसें हड़ताल के दौरान चलती रहीं । हड़ताल की स्थिति से निपटने और यात्रियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेट प्रचालकों को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किये गये पासों को स्वीकार करने के लिये जिनके लिये दिल्ली परिवहन निगम द्वारा धन एकत्र किया गया था, प्रतिपूर्ति के रूप में 200 रु. प्रतिदिन भुगतान करने पर सहमत हो गया था । इसके अलावा वह प्राइवेट बसों के ड्राइवरों को 50/- ० प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने पर भी सहमत हो गया था । इस प्रोत्साहन राशि का भुगतान 5-4-1988 से बन्द कर दिया गया था और रियायती पासों को स्वीकार करने के लिये प्रतिदिन दी जाने वाला प्रतिपूर्ति राशि को उसी तारीख से घटाकर जुलाई-अप्रैल और मई-जून की अवधि के लिये क्रमशः 86.50 रु. और 72.60 रु. कर दिया गया था ।

(ग) और (घ) कई वर्षों से दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली की बढ़ रही परिवहन जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के उद्देश्य से अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिये किसी न किसी स्कीम के तहत प्राइवेट प्रचालकों को सहयोजित करता रहा है । वर्तमान व्यवस्था में प्राइवेट प्रचालकों की बसों को चलाये जाने की अनुमति दी जाती है जिनमें प्रचालक दिल्ली परिवहन निगम का किराया लेते हैं, और आय अपने पास रखते हैं । पासधारकों को लाने-ले जाने के लिये उन्हें, पासों की बिक्री से उनकी आय के हिस्से के संदर्भ में आकलित राशि का भुगतान किया जाता है । ये प्रचालक दिल्ली परिवहन निगम, द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार बसें चलाते हैं । दिल्ली परिवहन निगम इन प्रचालकों पर नियंत्रण रखता है और देख-रेख करता है । जब कभी किसी अनियमितता का पता चलता है, तो दिल्ली परिवहन निगम न केवल प्राइवेट प्रचालकों को शिड्यूल के अनुसार प्रचालन सुनिश्चित करने के निर्देश देता है बल्कि अर्थदंड सहित सख्त कार्यवाई भी करता है जो अनियमितता के स्वरूप पर निर्भर करता है । मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इस समय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय दूतावासों में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा

927. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) भारत सरकार इन दूतावासों से किस भाषा में पत्रव्यवहार करती है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को समय-समय पर राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए नियमों पर अमल करने के निदेश दिए गए हैं । विदेश स्थित राजदूतावासों/कौंसलावासों में हिन्दी के टाइपराइटर दिए गए हैं और बहुत से

निशानों में हिन्दी टाइप जानने वाले कर्मचारियों को भी भेजा गया है । इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित सात मिशनों में हिन्दी अधिकारी तैनात किए गए हैं और भारत का राजदूतावास, काठमांडू में एक वरिष्ट हिन्दी अनुवादक भी । विदेश स्थित बहुत से भारतीय राजदूतावासों और कौंसलावासों में निःशुल्क हिन्दी कक्षाएं भी चलाई जाती हैं ।

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी ।

चौधरी चरण सिंह के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट

928. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उनके सम्मान स्मारक डाक-टिकट कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सम्मान में 29-5-90 को एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है ।

929. *[.Transferred to* 22nd *May*, 1990]

कश्मीर घाटी के लिये पाकस्तान द्वारा खाड़ी में धन का जुटाया जाना

930. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1990 के "हिन्दु" में "पाक रेजिंग थड्स इन गल्फ फ़ोर एजीटेशन इन दि कश्मीर वैली" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या कश्मीर घाटी के अलगाववादियों के सहायतार्थ पाकिस्तान द्वारा विश्व के अन्य देशों से धन जुटाया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को संबंधित देशों की सरकारों के साथ उठाया है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) सरकार ने 4 मई, 1990 को 'हिन्दु' में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने 13 मार्च, 1990 को कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री कोष की स्थापना की घोषणा की थी । इस कोष के लिए देश-विदेश से अनुदान मांगा गया है । यह स्पष्ट किया गया था कि अंशदान पाकिस्तान स्टेट बैंक और सभी अधिसूचित बैंकों तथा सभी ट्रेजरियों में प्राप्त किया जा सकेगा। विदेशों से अंशदान राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं तथा विदेश स्थित पाकिस्तानी मिशनों में प्राप्त किया जाएगा ।

(घ) भारत के खिलाफ़ निर्देशित आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन और प्रोत्साहन के तथ्य और तरीके को सभी संबंधित सरकारों के ध्यान में लाया गया है ।

North Eastern Council

931. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the North Eastern Council (NEC) is without a Chairman for about a year now; and

(b) if so, the reasons therefor?